

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

2. वर्तमान धारित पद 241-2

21/02/2018

7/18

3. वर्तमान वेतन 38,500/- अगली वेतमवृद्धि की तारीख



उस जिले, उप-सभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विषय संक्षेपित स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय	आयुर्विध
	मूल तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाराणसी 21-8-77 71,460 नया इलाहाबाद 547	पट्टेवाला भवन	—	150000/-	स्वयं	250 का 27500 2157	—

हस्ताक्षर
नाम 21/02/18
पद II.328
दिनांक 25/11/18

* जहां लानु न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अव्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाक (आयुध) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक श्रेण्य से यह अवहित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्यन्त यह भोपाल-भरतपुर काट मजबूत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अथवा सम्पत्ति के द्योरे दें।